

अध्याय III: वित्त मंत्रालय

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

3.1 समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी की अविवेकपूर्ण अंडरराइटिंग के कारण परिहार्य हानि

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा पॉलिसी के दिशानिर्देशों के अननुपालन के परिणामस्वरूप मै. तेलंगाना राष्ट्र समिति को जारी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी पर ₹7.84 करोड़ की परिहार्य हानि हुई थी।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) की अंडरराइटिंग पॉलिसी (नवंबर 2013) में परिकल्पना की गई कि उद्धृत दर¹ सक्षम प्राधिकारी के विशेष अनुमोदन के बिना बीमाकृत राशि (एसआई) पर 0.10 प्रति मिल² से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के लिए कंपनी के दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि सामान्य जोखिम हेतु प्रीमियम ₹0.90 प्रति मिल पर प्रभारित किया जाना चाहिए और अधिकतम छूट अनुमति केवल 30 प्रतिशत थी जहां 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को कवर किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईसीएल के मराठाल्ली डिवीजनल कार्यालय (डीओ), बेंगलोर क्षेत्र ने ₹10 प्रति सदस्य (अर्थात् ₹0.05 प्रति मिल³) की दर पर ₹4.13 करोड़ के प्रीमियम हेतु एक वर्ष के लिए ₹2 लाख प्रति कार्यकर्ता की बीमाकृत राशि के साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), एक राजनीतिक पार्टी, के 41.30 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी जारी की थी (अप्रैल 2015)। डीओ ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹13.17 करोड़ का दावा (319 प्रतिशत⁴ का दावा अनुपात) वहन किया था। इतनी बड़ी हानि के बावजूद पॉलिसी का ₹11.23 प्रति सदस्य (₹0.056 प्रति मिल⁵) की दर पर ₹4.75 करोड़ के प्रीमियम हेतु 42.29 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को कवर करते हुए अगले वर्ष (2016-17)

¹ उद्धृत दर व्यावसायिक खरीद व्यय, प्रबंधन और संवर्धनात्मक व्यय, लाभ मार्जिन आदि के आधार पर शुद्ध प्रीमियम प्लस लोडिंग पर आधारित है।

² प्रति मिल का अर्थ प्रति हजार प्रभारित है।

³ प्रति मिल प्रभारित दर = प्रति सदस्य प्रभारित (बीमित राशि/1000) = ₹10/ ₹200 = ₹0.05

⁴ दावा अनुपात = वहन किए गए दावे/प्रभारित प्रीमियम * 100 = ₹13.17 करोड़/ ₹4.13 करोड़ * 100 = 319 प्रतिशत

⁵ प्रति मिलि दर = प्रति सदस्य शुल्क दर/(बीमित राशि /1000) = ₹11.23/ ₹200 = ₹0.056

में नवीनीकरण किया गया था और डीओ ने नवीनीकृत पॉलिसी पर ₹9.36 करोड़ (197 प्रतिशत⁶ का दावा अनुपात) का दावा वहन किया था। पॉलिसी का आगे नवीनीकरण नहीं किया गया था। इस प्रकार, दो वर्षों के दौरान अर्जित ₹8.88 करोड़ के प्रीमियम के प्रति डीओ ने ₹22.53 करोड़ के दावे वहन किए थे और इससे ₹13.65 करोड़ की हानि उठाई।

दोनों वर्षों 2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रभारित प्रीमियम (अर्थात् क्रमशः ₹0.05 प्रति मिल और ₹0.056 प्रति मिल) कंपनी की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में निर्धारित ₹0.63 प्रति मिल⁷ के न्यूनतम प्रभार्य प्रीमियम से कम था। इसके अलावा, प्रीमियम को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिए बिना अंडरराइटिंग पॉलिसी में निर्धारित दर (₹0.10 प्रति मिल) से कम पर प्रभारित किया गया था। अंडरराइटिंग पॉलिसी में निर्धारित ₹0.10 प्रति मिल की दर पर विचार करते हुए डीओ को 2015-16 में ₹8.26 करोड़⁸ और 2016-17 में ₹8.46 करोड़⁹ का न्यूनतम प्रीमियम एकत्र करना चाहिए था जिसके प्रति वास्तव में क्रमशः ₹4.13 करोड़ और ₹4.75 करोड़ एकत्र किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹7.84 करोड़¹⁰ के प्रीमियम का कम एकत्रण हुआ। इस प्रकार, पॉलिसी दिशानिर्देशों के अनुपालन द्वारा एनआईसीएल द्वारा बीमा पॉलिसी के प्रति दावों के आधार पर वहन की गई ₹13.65 करोड़ की हानि को कम से कम ₹7.84 करोड़ तक कम किया जा सकता था।

इस प्रकार पॉलिसी दिशानिर्देशों के अननुपालन और प्रतिकूल दावा अनुपात को छोड़ते हुए बाद वाले वर्ष में बीमा नीति के नवीनीकरण के कारण एनआईसीएल ने ₹7.84 करोड़ की परिहार्य हानि उठाई।

प्रबंधन ने अंडरराइटिंग चूकों को स्वीकार कर लिया (मार्च 2018) और बताया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

इस मामले को मई 2018 में मंत्रालय को भेज दिया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2019)।

⁶ दावा अनुपात = दावा किया गया/ प्रीमियम वसूला गया*100 = ₹9.36 करोड़/ ₹4.75 करोड़*100 = 197 प्रतिशत

⁷ समूह दुर्घटना बीमा पॉलिसी के अनुसार प्रीमियम की दर (₹0.90 प्रति मिल)- अधिकतम छूट 30 प्रतिशत की दर पर (₹0.27 प्रति मिल) = 0.63 प्रति मिल

⁸ बीमित राशि/ 1000*0.10*शामिल सदस्यों की संख्या अर्थात् ₹2,00,000/1,000*0.10*41,30,000 = ₹8,26,00,000

⁹ ₹2,00,000/1,000*0.10* 42,29,000 = ₹8,45,80,000

¹⁰ ₹8.26 करोड़ + ₹8.46 करोड़ - (₹4.13 करोड़ + ₹4.75 करोड़)

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

3.2 अविवेकपूर्ण अंडरराइटिंग और उचित जोखिम निर्धारण की कमी के कारण हानि

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अविवेकपूर्ण अंडरराइटिंग और उचित जोखिम निर्धारण की कमी के कारण ₹91.32 करोड़ की हानि वहन की।

एप्सडेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (बीमाकृत), एक मोबाइल एप्लिकेशन प्रदाता, मोबाइल बिक्री केन्द्रों पर अपने एजेंटों के माध्यम से मोबाइल एप्लिकेशन बेचती है। इसने नए मोबाइल हैंडसेट के लिए निशुल्क बीमा कवर का प्रस्ताव दिया बशर्ते कि ग्राहक मोबाइल हैंडसेट खरीदने के 15 दिनों के अंदर उनका एप्लिकेशन खरीदता है।

बीमाकृत ने मोबाइल हैंडसेटों की बिक्री के समय उठाए गए जोखिम को कवर करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) के बोम्बेसंद्रा शाखा कार्यालय से आग और संबंधित खतरों, चोरी, सेंध और आकस्मिक क्षति के कवरेज हेतु मास्टर पैकेज पॉलिसी ली थी। दावों की प्रक्रिया/समाधान बीमाकृत द्वारा (i) चोरी के दावों हेतु सामान्य दिशानिर्देश और (ii) क्षति दावों हेतु सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी थी।

पॉलिसी को आरंभ में ₹5 करोड़ की अनुमानित बीमाकृत राशि (एसआई) के साथ जारी किया गया था और 04 जून 2013 से 03 जून 2014 की अवधि हेतु ₹6 लाख का प्रीमियम (1.2 प्रतिशत की दर पर) एकत्र किया गया था। पॉलिसी को बीमाकृत के साथ निबंधन एव शर्तों पर विचार विमर्श करने के बाद निरस्त कर दिया गया और अक्टूबर 2013 और फरवरी 2014 के दौरान क्रमशः दो बार पुनः जारी किया गया था। प्रीमियम की दर और मूल्यहास की शर्तें बीमाकृत के पक्ष में संशोधित की गई थी; तथापि, आरंभिक दरों के निर्धारण और बाद में इनमें संशोधन के विस्तृत औचित्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वहन किए गए दावा अनुपात (आईसीआर) के बढ़ते रुझान के बावजूद कंपनी ने फरवरी 2015 और अगस्त 2015 के दौरान पॉलिसी का नवीनीकरण किया था। पॉलिसी को नवंबर 2015 में निरस्त कर दिया गया था। तब तक, एनआईएसीएल ने ₹33.78 करोड़ का कुल निवल प्रीमियम एकत्र किया था जिसके प्रति इसने ₹125.10 करोड़ की सीमा तक दावों का निपटान किया था।
- जोखिम का बीमा कराने के लिए बीमाकृत के पास बीमा की विषय वस्तु में बीमायोग्य हित होना चाहिए। मौजूदा मामलों में मास्टर पॉलिसी बीमाकृत को जारी कर दी गई थी

जिसका मोबाइल हैंडसेट में बीमायोग्य हित नहीं था जो बीमा की विषय वस्तु थी। इसकी अपेक्षा, उन ग्राहकों का मोबाइल सैटों में बीमायोग्य हित था जिन्होंने हैंडसेट खरीदा था और एप प्रतिष्ठापित किया था। यह बीमा के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध था।

- यद्यपि यह व्यवसाय की उभरती व्यवस्था थी, एनआईएसीएल द्वारा प्रीमियम दर आदि निर्धारित करते हुए पॉलिसी का कोई बीमांकिक मूल्यनिर्धारण नहीं किया गया था।
- पॉलिसी को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना जारी और नवीनीकृत किया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2018) बताया कि पॉलिसी प्रधान कार्यालय (एचओ) के परिपत्रों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालय के स्वीकृति अधिकार में थी। पॉलिसी जारीकर्ता कार्यालय को प्रतिकूल दावों के मामले में पिछले तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर स्वीकृति, लोडिंग और कटौतियों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। दावा अनुपात की ध्यानपूर्वक निगरानी की गई थी और पॉलिसी के प्रतिधारण हेतु प्रीमियम दर बढ़ाई गई थी और अंततः पॉलिसी को नवंबर 2015 में निरस्त कर दिया गया था।

यह उत्तर निम्नलिखित तथ्यों के अनुरूप नहीं है:

- अंडरराइटिंग की निर्धारित स्वीकृति सीमा के अनुसार वहनीय उपस्कर का बीमा आरओ के अनुमोदन से किया जा सकता है जिसकी स्वीकृति सीमा एसआई हेतु ₹5 करोड़ थी हालांकि, आरंभिक पॉलिसी हेतु आरओ का अनुमोदन पॉलिसी के आरंभ होने के बाद लिया गया था। तत्पश्चात, पॉलिसी को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रधान कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ₹50 करोड़ के एसआई हेतु पुनः जारी किया गया था।
- पॉलिसी नवंबर 2015 में ही निरस्त की गई थी, जबकि पॉलिसी शुरू होने के बाद से आईसीआर में वृद्धि हो रही थी।

इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिए बिना अविवेकपूर्ण अंडरराइटिंग और उचित जोखिम निर्धारण, बीमायोग्य हित और बीमांकिक मूल्यनिर्धारण की कमी के परिणामस्वरूप ₹91.32 करोड़¹¹ की हानि हुई थी।

इस मामले को नवंबर 2018 में मंत्रालय को भेज दिया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2019)।

¹¹ दावा ₹125.48 करोड़ और कमिशन वयय ₹3.89 करोड़, घटाकर ₹37.67 करोड़ (प्राप्त प्रीमियम)

दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

3.3 अपनी क्षमता के आधार पर जोखिमों के अधिक अवधारण के कारण हानि

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इरडा को प्रस्तुत किए गए अपने बीमा कार्यक्रम का उल्लंघन करते हुए विविध सेगमेंट के तहत दो बीमा पॉलिसियों के संबंध में अधिक जोखिम प्रतिधारण के कारण ₹5.55 करोड़ की हानि उठाई।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) (सामान्य बीमा पुनर्बीमा) विनियमावली 2016 पुनर्बीमा व्यवस्था को शासित करती है। इन विनियमों के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता द्वारा आईआरडीए को पुनर्बीमा कार्यक्रम प्रस्तुत करना अपेक्षित था। एक बीमाकर्ता का पुनर्बीमा कार्यक्रम अन्य बातों के साथ बीमाकर्ता द्वारा स्वीकृत जोखिमों के अध्यर्पण के तरीकों को परिभाषित करता है जो सामान्य रूप से अनिवार्य¹² अध्यर्पण, अंतरसमूह¹³ और अन्य सन्धि अध्यर्पण¹⁴ और फैकलटेटिव अध्यर्पण¹⁵ के रूप में और उसी क्रम में होते हैं। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए पुनर्बीमा व्यवस्था-दिशानिर्देशों पर आईआरडीए के परिपत्र में (नवंबर 2004) भी अपेक्षित है कि एक बीमाकर्ता को अपेक्षित पुनर्बीमा किए बिना जोखिम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) को अपने पुनर्बीमा कार्यक्रम के उल्लंघन में अपने स्वयं के खाते पर जोखिमों की अधिक प्रतिधारणा के कारण विविध सेगमेंट के तहत अर्थात् विशिष्ट आकस्मिक पॉलिसी (एससीपी) और उत्पाद देयता पॉलिसी के तहत दो बीमा पॉलिसियों के प्रति वहन किए गए दावों के संबंध में ₹5.55 करोड़ की हानि हुई जिसके ब्यौरे नीचे हैं:

(क) ओआईसीएल ने (अक्टूबर, 2015) ₹38.72 करोड़ की बीमा राशि के लिए 01 अक्टूबर 2015 से 30 सितंबर 2016 तक की अवधि के लिए मैसर्स वन-97 कम्प्यूनिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड¹⁶ को एससीपी के तहत इवैन्ट कैन्सिलेशन बीमा पालिसी जारी की थी। इस पॉलिसी

¹² भारतीय पुनर्बीमाकर्ता अर्थात् जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बीमा राशि के निर्दिष्ट प्रतिशत का अनिवार्य अध्यर्पण

¹³ चार सामान्य बीमा सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के अंतर्गत पुनर्बीमा प्रीमियम का अध्यर्पण

¹⁴ एक वर्ष अथवा अधिक के लिए पुनर्बीमा व्यवस्था, कारोबार के परिभाषित वर्ग अथवा वर्गों के लिए लागू

¹⁵ विशिष्ट आरआई व्यवस्था जिसको अनिवार्यता अंतर समूह समझौते तथा अन्य समझौतों के बाद मामले के आधार पर रखा गया है

¹⁶ मैसर्स वन-97 कम्प्यूनिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड को क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के प्रयोजन हेतु विशेष अधिकार देने के लिए क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के साथ एक करार किया था।

के तहत कवर किए गए जोखिम में तीन क्रिकेट श्रृंखला के प्रायोजन को कवर किया गया था जिसमें टी-20/एक दिवसीय/टेस्ट श्रृंखला के कुल 16 मैच शामिल थे जो भारत में विभिन्न शहरों में खेले जाने थे।

विशिष्ट आकस्मिक पॉलिसियों हेतु ओआईसीएल द्वारा आईआरडीए को प्रस्तुत किया गया पुनर्बीमा कार्यक्रम 2015-16 निर्धारित करता है कि 5 प्रतिशत अनिवार्य अध्यर्पण के बाद, ₹10 करोड़ तक की संभावित अधिकतम हानि (पीएमएल)¹⁷ वाली पॉलिसियों को कंपनी के निवल प्रतिधारण पर रखा जाना था और ₹10 करोड़ पीएमएल से अधिक की पॉलिसियों में इंटर ग्रुप ट्रीटी (आईजीटी) और फैकलटेटिव अध्यर्पण जैसी पुनर्बीमा व्यवस्था की जानी थी।

ओआईसीएल ने ₹2.42 करोड़ को (अर्थात् प्रति मैच बीमा राशि) पीएमएल माना था और, इसलिए, पांच प्रतिशत के अनिवार्य अध्यर्पण के बाद जोखिम का पुनर्बीमा नहीं किया गया।

भारी वर्षा के कारण, 8 अक्टूबर 2015 को कोलकाता में एक टी-20 मैच और 15 नवंबर 2015 से 18 नवंबर 2015 को टेस्ट मैच का दूसरे से लेकर पांचवा दिन रद्द हो गया था। तदनुसार, मैसर्स वन-97 कम्यूनिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड ने दावे प्रस्तुत किए (अक्टूबर से दिसंबर 2015) और कुल ₹4.14 करोड़ के दावे अनुमोदित किए गए थे (क्रमशः ₹2.30 और करोड़ ₹1.84 करोड़)।

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि उपरोक्त विशिष्ट आकस्मिक पॉलिसी के तहत उच्चतम बीमा राशि भारत दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के लिए अर्थात् ₹29.04 करोड़ थी, जिसे पीएमएल माना जाना चाहिए था। तथापि, ओआईसीएल ने पुनर्बीमा करवाते समय केवल ₹2.42 करोड़ को ही पीएमएल माना था (अर्थात् प्रति मैच बीमा राशि) जिसके परिणामस्वरूप पुनर्बीमा प्रतिस्थापनों द्वारा इस विशिष्ट आकस्मिक पॉलिसी का अपवर्जन किया गया और समग्र जोखिम को ओआईसीएल की निवल क्षमता पर रखा गया था।

ओआईसीएल के वर्ष 2015-16 के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार, उपरोक्त पॉलिसी के संबंध में जोखिम का निवल प्रतिधारण 34.44 प्रतिशत¹⁸ रखा जाना चाहिए था और 5 प्रतिशत अनिवार्य अध्यर्पण के बाद शेष 60.56 प्रतिशत जोखिम को आरआई व्यवस्था के तहत (अर्थात् आईजीटी और फैकलटेटिव) रखा जाना था, जो कि नहीं किया गया था परिणामस्वरूप जोखिम का प्रतिधारण 60.56 प्रतिशत अधिक हुआ।

¹⁷ आरआई कार्यक्रम तैयार करने के लिए आधारभूत मानदंड और आरआई व्यवस्थाओं के प्रतिस्थापन हेतु निर्णय लेने के लिए

¹⁸ ₹10 करोड़/ ₹29.04 करोड़*100=34.44 प्रतिशत

इस प्रकार, आरआई कार्यक्रम 2015-16 के उल्लंघन में पीएमएल के गलत प्रतिफल से ओआईसीएल को ₹2.50 करोड़ (₹4.14 करोड़ x 60.56 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिधारण) की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2018) कि, मैच विभिन्न स्थानों तथा तिथियों पर होते हैं, इसलिए एक जोखिम के कई मैचों को प्रभावित करने की संभावना बहुत कम होती है। अतः प्रत्येक मामले के आधार पर पीएमएल का विश्लेषण किया जाता है और इस विशेष मामले में प्रति मैच बीमा राशि को पीएमएल माना गया था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मौजूदा मामलों में कवर किया गया जोखिम सभी श्रृंखलाओं के लिए था केवल किसी विशेष मैच के लिए नहीं तथा पॉलिसी के तहत शामिल किए गए जोखिमों में दंगे, नागरिक उपद्रव जैसे जोखिम शामिल थे जो पूरी श्रृंखला को प्रभावित कर सकते थे। अतः अधिकतम हानि जिसको वहन करना पड़ सकता है वह मैचों की अधिकतम संख्या वाली श्रृंखला की बीमा राशि है तथा इस तथ्य से इसकी पुष्टि होती है कि पूर्व में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पूरी क्रिकेट मैच श्रृंखला रद्द कर दी गई थी। 2016-17 और 2017-18 में, प्रति मैच बीमा राशि के बजाय पीएमएल के रूप में श्रृंखला की बीमा राशि को ध्यान में रखते हुए ओआईसीएल ने ही एससीपी का बीमा कराया जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास इवेंट कैन्सिलेशन पॉलिसीयों हेतु पीएमएल का निर्धारण करने के लिए कोई सुसंगत नीति नहीं थी।

(ख) ओआईसीएल ने (जुलाई, 2009) मैसर्स आईपीसीए लैब लि. द्वारा विनिर्मित दवा उत्पादों के उपयोग से उत्पन्न देयता को कवर करने के लिए ₹15 करोड़ की बीमा राशि के साथ मैसर्स आईपीसीए लैब लि. के पक्ष में 4 जुलाई 2009 से 3 जुलाई 2010 की अवधि हेतु एक उत्पाद देयता पॉलिसी जारी की थी। 27 जुलाई 2009 से बीमा राशि को बढ़ाकर ₹35 करोड़ कर दिया गया था।

ओआईसीएल ने पीएमएल को ₹15 करोड़ माना था। 2009-10 के पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार, 10 प्रतिशत अनिवार्य अध्यर्पण के बाद, ओआईसीएल ने निवल प्रतिधारण पर 33 प्रतिशत¹⁹ जोखिम रखा और शेष 57 प्रतिशत का जोखिम अंतर समूह समझौते के तहत रखा गया था।

मैसर्स आईपीसीए लैब लि. द्वारा निर्मित मेटोक्लोप्रमाइड (रैलगन) उत्पाद के द्वारा समस्त यूएसए के उपभोक्ताओं की बीमारी के कारण उपरोक्त पॉलिसी के तहत एक दावा (जनवरी 2010) प्रस्तुत किया गया। ओआईसीएल ने ₹16.29 करोड़ के दावे (जुलाई 2010) को अनुमत किया था।

¹⁹ ₹5 करोड़ / ₹15 करोड़ * 100=33 प्रतिशत

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने ₹35 करोड़ के बजाय केवल ₹15 करोड़ को पीएमएल माना था जिसके परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत अनिवार्य अध्यर्पण के बाद 14.29 प्रतिशत²⁰ के स्थान पर 33 प्रतिशत की सीमा तक जोखिम का निवल प्रतिधारण हुआ और जोखिम की शेष राशि आईजीटी को हस्तांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार, पुनर्बीमा कार्यक्रम 2009-10 के उल्लंघन में जोखिम के अधिक प्रतिधारण के कारण ₹3.05 करोड़ (₹16.29 करोड़ का 18.71 प्रतिशत²¹) की हानि हुई।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) कि इस पॉलिसी का, पॉलिसी के नवीकरण पर बीमा राशि को बढ़ाने के कारण फैकलटेटिव पुनर्बीमा की व्यवस्था के बाद बीमा करना चाहिए था चूंकि जोखिम आईओसीएल की निवल प्रतिधारण क्षमता के बाहर था। यह भी बताया गया कि फैकलटेटिव की व्यवस्था की आवश्यकता काफी समय के अंतराल के बाद प्रबंधन की जानकारी में आई थी परिणामस्वरूप फैकलटेटिव पुनर्बीमा की व्यवस्था नहीं हुई और तदनुसार, इसे ओआईसीएल के निवल प्रतिधारण पर रखने का निर्णय लिया गया था।

इस प्रकार, पुनर्बीमा व्यवस्था के लिए लागू पुनर्बीमा कार्यक्रम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹5.55 करोड़ की हानि (मैसर्स वन-97 कम्यूनिकेशनस प्र. लि. ₹2.50 करोड़ और मैसर्स आईपीसीए लैबस लि. ₹3.05 करोड़) के साथ ही आईआरडीए दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी हुआ।

मामले के विषय में नवंबर 2018 में मंत्रालय को अवगत कराया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2019)।

भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

3.4 अनियमित यात्रा भत्ते के दावे

ऐयरलाइनों के द्वारा प्रभारित किए जाने वाले वास्तविक हवाई किराए की पुष्टि किये बिना निजी ट्रेवल एजेंसी के बीजकों के आधार पर यात्रा भत्ता दावों को पास करने के परिणामस्वरूप ₹4.84 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

बैंक नोट प्रैस (बीएनपी), देवास, मध्य प्रदेश भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) की नौ इकाईयों में से एक है जिसकी अध्यक्षता एक महाप्रबंधक (जीएम) करता है। एसपीएमसीआईएल की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार,

²⁰ ₹5 करोड़/₹35 करोड़ पीएमएल*100=14.29 प्रतिशत

²¹ 18.71 प्रतिशत= 33 प्रतिशत- 14.29 प्रतिशत

इकाई प्रमुख को इकाई के सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों के यात्रा भत्ता (टीए) बिलों को पास करने का अधिकार है अर्थात् इकाई प्रमुख उसके/अपने यात्रा भत्ते के दावों को भी पास करने को प्राधिकारी है।

लेखापरीक्षा द्वारा टीए दावों की नमूना जांच (जनवरी 2018) से पता चला कि जबकि बैंक नोट मुद्रणालय देवास के अन्य अधिकारियों ने अधिकारिक यात्राओं के हवाई टिकट या तो बॉल्मर लॉरी (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से अथवा एयरलाइनों की वेबसाइट के माध्यम से बुक किए थे, तत्कालीन महाप्रबंधक ने निजी ट्रेवल एजेंट अर्थात् मेरिडियन एअर ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हवाई टिकटें बुक की थी। तत्कालीन महाप्रबंधक ने नवंबर 2015 से जनवरी 2018 के दौरान की गई घरेलू (नौ यात्राएं) और अन्तर्राष्ट्रीय (चार यात्राओं) यात्रा के प्रति ₹13.09 लाख का दावा किया। महाप्रबंधक के दावे तीन²² चरणों में संसाधित किए गए थे और अंततः ₹13.09 लाख जीएम द्वारा पास कर दिये गये थे (अनुलग्नक-1)।

जनवरी 2018 में जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर, बीएनपी, देवास ने महाप्रबंधक द्वारा एमीरेट्स एयरलाइंस और जेट एयरवेस से की गई हवाई यात्राओं के संबंध में बीजकों के साथ ही यात्रा प्रमाणपत्र प्राप्त किया। इन एयरलाइनों के द्वारा प्रस्तुत (अप्रैल/मई 2018) बीजकों की प्रतियों से पता चला कि तीन अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं और नौ घरेलू यात्राओं के संबंध में इन एयरलाइनों की मूल बीजक मूल्य ट्रेवल एजेंट द्वारा प्रभारित बीजक मूल्य की तुलना में ₹4.84 लाख से कम थे। जैसा संलग्नक-1 में ब्यौरा दिया गया है। एक अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में, एयरलाइन ने मूल बीजक उपलब्ध कराने के लिए खेद व्यक्त किया था। एसपीएमसीआईएल ने (नवंबर 2018) अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं हेतु दावा किए गए और पास किए गए राशि के अधिक होने के कारण महाप्रबंधक को ₹4.38 लाख जमा करने के लिए निदेशित किया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि:

- टीए के दावों को पास करने से पहले यात्रा भत्ते के दावों को संसाधित करने वाले अधिकारियों द्वारा निजी ट्रेवल एजेंसी द्वारा निर्मित बीजकों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एयरलाइनों द्वारा प्रभारित किराए की जांच नहीं की गई थी।

²² टीए सहायक, सहायक प्रबंधक-1 (वित्त एवं लेखा) और सहायक प्रबंधक II (वित्त एवं लेखा)

- एसपीएमसीआईएल ने (मई 2016) हवाई टिकटों को बुक करने के लिए मैसर्स अशोका ट्रेवलस एंड टूर्स को प्राधिकृत किया गया था। इस प्राधिकृति के बाद भी, महाप्रबंधक ने निजी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से हवाई टिकटों की बुकिंग तब तक जारी रखी, जब तक वह फरवरी 2018 में इस इकाई से सेवामुक्त नहीं हो गए।
- महाप्रबंधक द्वारा अतिरिक्त राशि अभी जमा नहीं की गई थी (मार्च 2019)।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2018) कि बीएनपी, देवास ने अनियमित आधार पर सभी अधिकारियों के पिछले दो वर्षों के यात्रा बिलों की जांच की थी और यह पाया गया कि सभी यात्रा भत्ते नियमावली 2010 के अनुसार निपटान किए गए थे। तथापि, महाप्रबंधक के मामले में, यह पाया गया कि उनके द्वारा जमा किए गए सभी बीजक निजी ट्रेवल एजेंसी के द्वारा तैयार किए गए थे और एअरलाइनों द्वारा जारी किए गए बीजक जमा नहीं किए गए थे। संबंधित महाप्रबंधक को निदेशन जारी किए गए कि वह तत्काल ₹4.38 लाख की अंतर राशि एसपीएमसीआईएल को जमा कराये। इसके अतिरिक्त, एसपीएमसीआईएल के मुख्य सर्तकता अधिकारी (सीवीओ) को इस मामले के विषय में अवगत कराया गया था।

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने बताया (मार्च, 2019) कि, अपने सीवीओ के साथ परामर्श से एसपीएमसीआईएल ने, जाली दस्तावेज बनाकर एसपीएमसीआईएल को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी अधिकारी और ट्रेवल एजेंट के विरुद्ध आईपीसी के प्रावधानों के तहत बड़ी दंडात्मक कार्रवाई और मामला दर्ज करने को मंजूरी दी थी। इसके अतिरिक्त, प्रथम चरण सुझाव लेने के लिए यह मामला केंद्रीय सर्तकता समिति (सीवीसी) को भेजा गया था। जबकि मामला सीवीसी को भेजा गया था, बड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने और आईपीसी के तहत मामला दर्ज करने के लिए (फरवरी 2019) प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं की गई थी।